प्रेस नोट संख्या- 18

दिनांक 08.07.2025

सराहनीय कार्य थाना गौरीगंज व स्वाट/सर्विलांस टीम जनपद अमेठी

चोरियों का अनावरण, 03 नफर अन्तर्जनपदीय शातिर बैट्री चोर गिरफ्तार, कब्जे से कुल 208 बैट्रियां (ई-रिक्शा बैट्री, इन्वर्टर बैट्री, मोटरसाइकिल बैट्री व अन्य चारपहिया वाहनों की बैट्री), चोरी की घटना में प्रयुक्त महिन्द्रा पिकअप व डीसीएम बरामद।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी गौरीगंज श्री अखिलेश वर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 08.07.2025 को उ0नि0 श्री महेन्द्र सरोज थाना गौरीगंज जनपद अमेठी मय हमराह व उ0नि0 श्री अनूप कुमार सिंह प्रभारी स्वाट/सर्विलांस टीम जनपद अमेठी मय हमराह देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान क्षेत्र में मौजूद थे तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि पड़री सम्भावा रोड के करीब 01 किलोमीटर आगे सूनसान जगह पर बैट्री चोर गैंग महिन्द्रा पिकअप से डीसीएम में बैट्रियां लाद रहे हैं। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबन्दी कर हिकमतअमली से 03 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया तीनों व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर **पहले ने अपना नाम सद्दाम पुत्र आलेमान खान** निवासी पूरे कुरैशी मजरे राहटीकर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष बताया, **दूसरे ने अपना नाम मकसूद उर्फ दुन्ने पुत्र आलेमान खान** निवासी पूरे कुरैशी मजरे राहटीकर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष बताया तथा **तीसरे ने अपना नाम दीपांशू पुत्र स्व0 राम कुमार कोरी** निवासी पूरे बेनीदीन मजरे अच्छापुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष बताया। महिन्द्रा पिकअप वाहन सं0 यूपी 33 बीटी 4151 में ई रिक्शा की 39 बैट्रियां व डीसीएम वाहन सं0 यूपी 32 एसएन 5160 में इन्वर्टर की 64 बड़ी बैट्रियां, मोटरसाइकिल की 90 बैट्रियां व चारपहिया वाहनों की 15 बैट्रियां कुल 208 बैट्रियां मौजूद मिली। उक्त दोनों वाहनों के कागज मांगने पर दिखा न सके।

पुलिस टीम द्वारा की गई पूछताछ में तीनों अभियुक्तों ने बताया गया कि हम अपने 02 अन्य साथी प्रवीण सिंह पुत्र उदयभान सिंह निवासी अच्छापुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ व मुन्ना पुत्र शाही इमाम निवासी दीवानगंज कल्याणपुर कला थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ के साथ मिलकर जनपद बाराबंकी, अयोध्या, सुलतानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़ व अमेठी में सड़क के किनारे व घरों के आसपास सूनसान स्थानों पर खड़े ई रिक्शा लोडर का लॉक काटकर बैट्री व चार्जर, घरों से इन्वर्टर की बैट्री व चार पहिया वाहनों की बैट्रियों को चोरी से निकालकर बेंच देते हैं। करीब 15 दिन पहले हम पांचों लोगों ने मिलकर जनपद अमेठी के थानाक्षेत्र अमेठी के संतोषी नगर, जंगल रामनगर गांव से ई-रिक्शा डाला से बैट्री चोरी की थी, लगभग 01 महीने पहले थानाक्षेत्र रामगंज के भादर उदयनगर गांव में एक घर के बगल खड़े ई रिक्शा डाला से बैट्री चोरी की थी एवं लगभग पौने दो महीने पहले थानाक्षेत्र गौरीगंज के असैदापुर गांव में एक घर के बाहर खड़े बैट्री डाला को ले जाकर पड़री के पास सूनसान जगह पर खड़ा करके 04 बैट्रियां चोरी करके डाला को वहीं पर छोड़ दिया था। अभियुक्तों ने बताया कि उनके साथी प्रवीण सिंह उपरोक्त को लगभग 15 दिन पहले थाना लालगंज अझारा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। हमलोग ज्यादातर चोरियां प्रवीण सिंह की बोलेरो से ही करते थे। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना गौरीगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद अमेठी के थानाक्षेत्र गौरीगंज, अमेठी व रामगंज में हुई चोरियों के संबंध में संबंधित थानों पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित है। उक्त चोरियों का अनावरण करते हुए चोरियों से संबंधित बैट्रियों की बरामदगी की गयी है व अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1. सद्दाम पुत्र आलेमान खान निवासी पूरे कुरैशी मजरे राहटीकर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।
2. मकसूद उर्फ दुन्ने पुत्र अलेमान निवासी पूरे कुरैशी मजरे राहटीकर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष ।
3. दीपांशू पुत्र स्व0 राम कुमार कोरी निवासी पूरे बेनीदीन मजरे अच्छापुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी-

1. कुल 208 बैट्रियां (**ई-रिक्शा बैट्री, इन्वर्टर बैट्री, मोटरसाइकिल बैट्री व अन्य चारपहिया वाहनों की बैट्री**)।
2. महिन्द्रा पिकअप वाहन सं0 यूपी 33 बीटी 4151।
3. डीसीएम वाहन सं0 यूपी 32 एसएन 5160।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाहीः-

1. मु0अ0सं0 196/25 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
2. मु0अ0सं0 182/25 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना अमेठी जनपद अमेठी।
3. मु0अ0सं0 69/25 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना रामगंज जनपद अमेठी।
4. मु0अ0सं0 228/25 धारा 317(2), 317(4) बी0एन0एस0 थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

थाना गौरीगंज -

1. श्री श्याम नारायण पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 महेन्द्र सरोज थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
3. हे0का0 रघुलाल थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
4. का0 प्रशांत अग्निहोत्री थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।
5. का0 वीरेन्द्र कुमार थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।

स्वाट/सर्विलास टीम –

1. उ0नि0 श्री अनूप कुमार सिंह प्रभारी स्वाट/सर्विलांस टीम अमेठी।
2. हे0का0 आलोक सिंह स्वाट टीम अमेठी।
3. हे0का0 पवनेश यादव सर्विलांस टीम अमेठी।
4. हे0का0 आशीष सिंह चौहान सर्विलांस टीम अमेठी।
5. का0 मनीष कुमार सर्विलांस टीम अमेठी।
6. का0 सिकन्दर खान स्वाट टीम अमेठी।
7. का0 जयहिन्द यादव स्वाट टीम अमेठी।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त सद्दाम पुत्र आलेमान-

1. मु0अ0सं0 29/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 115/19 धारा 411 भादवि थानाउदयपुर जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 127/24 धारा 115(2)/191(2)/333/351(2) बीएनएस थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0 129/24 धारा 115(2)/ 333/351(2)/352 बीएनएस थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।
5. मु0अ0सं0 163/23 धारा 323/504/506 भादवि थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।
6. मु0अ0सं0 179/16 धारा 323/506 भादवि थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।
7. मु0अ0सं0 102/24 धारा 323/367/394/411/376(D) भादवि थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।
8. मु0अ0सं0 243/24 धारा 2/3 यूपी गैंग0 एक्ट थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।
9. मु0अ0सं0 184/18 धारा 147/148/149/307/323/332/336/353/506 भादवि थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।
10. मु0अ0सं0 244/24 धारा 4/8 विस्फोटक अधिनियम थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।
11. मु0अ0सं0 360/15 धारा गोवध अधिनियम 3/8 व 11 पशुक्रूरता अधिनियम थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

अभियुक्त मकसूद उर्फ दुन्ने-

1. मु0अ0सं0184/2018 धारा 147/148/149/307/323/332/336/353/506 भादवि थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0241/21 धारा धारा 4/5 विस्फोटक अधिनियम थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0151/24 धारा धारा 4/5 विस्फोटक अधिनियम थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं060/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।